पत्रांकः–01 / न0प्र0नि0 / NULM / state share / 26 / 2016..................234

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

राज्यांश NULM

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।
(नगरीय प्रशासन निदेशालय)
एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची – 834004,
दूरभाष : 0651-2401955, फैक्स: 2401182, ई–मेल: director.ma.goj@gmail.com

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–18/01/18/

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहाकार।**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अन्तर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि के अनुपातिक राज्यांश राशि नगरीय प्रशासन निदेशालय के माध्यम से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को पूर्व निर्धारित लक्ष्य के आधार पर आवंटित किये जाने हेतु OSP प्रक्षेत्र में कुल रु0 4,57,39,500/–(चार करोड़ सनतावन लाख उनचालीस हजार पॉच सौ रुपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध मे।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार से वित्तीय वर्षो 2014–15 से 2017–18 तक प्राप्त केन्द्रांश रुपये 57.5899 करोड़ के अनुपातिक राज्यांश मद में कुल रुपये 35.01 करोड़ अनुमान्य था परंतु कुल रुपये 30.44 करोड़ ही प्राप्त हुआ, अर्थात रुपये 4.57 करोड़ कम प्राप्त हुआ। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यांश बजट में उपबंधित राशि से OSP प्रक्षेत्र में कुल रु0 4,57,39,500/–(चार करोड़ सनतावन लाख उनचालीस हजार पॉच सौ रुपये) मात्र,नगरीय प्रशासन निदेशालय के माध्यम से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को पूर्व निर्धारित लक्ष्य के आधार पर आवंटित किया जाना है।

2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अन्तर्गत GoI द्वारा प्राप्त केन्द्रांश के विरुद्ध OSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि से इस योजना के लिए नामित नोडल इकाई, नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को योजना अन्तर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु OSP मद में रु0 4,57,39,500/–(चार करोड़ सनतावन लाख उनचालीस हजार पॉच सौ रुपये), मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए नगरीय प्रशासन निदेशालय को आवंटित की जाती है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत निकायों से प्राप्त मांग के आधार पर निदेशालय द्वारा आवंटित राशि हस्तांतरण की जाएगी।

उक्त प्रयोजन हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र में राज्यांश मद से उपबंधित राशि से इस योजना के लिए नामित नोडल इकाई, नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA),नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु कुल रु0 4,57,39,500/–(चार करोड़ सनतावन लाख उनचालीस हजार पॉच सौ रुपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

Head	Total
A	B
OSP	4,57,39,500/–
Total	**4,57,39,500/–**

3. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)के अंतर्गत राज्यांश मद में OSP प्रक्षेत्र से निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी :–

234
18/01/18

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
OSP	द्वितीय अनुपूरक बजट माँग संख्या–48–नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के अधीन मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–60–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (राज्यांश)–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) कोड–**48P221780191600679**में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।	4,57,39,500.00

4. उक्त राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायगी।

5. योजना–सह–वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत कार्यालय आदेश संख्या–16, दिनांक–02.02.2017 के आलोक में निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA) द्वारा राशि का संधारण दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु अलग से खोले गये बैंक खाता में करेंगे। बैंक से सम्बंधित विवरणी निम्नवत है:–

Name of Bank	IFSC Code	Account Name	A/C No.
Union Bank of India, Argora Branch, Argora Bypass Road, Ranchi -834002	UBIN0570826	Deendayal Antyoday Yojna-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)	708202010002635

6. विभागीय संकल्प संख्या–3523, दिनांक–31.07.2014 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को कार्यान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय, कोझारखण्ड राज्य में कार्यान्वित करने हेतु दिशानिर्देश एवं कार्यप्रणाली की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत 60% राशि भारत सरकार एवं 40% राशि राज्य सरकार द्वारा देय है।

8. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015-16) में राज्यांश मद में कोई राशि प्राप्त नही हुई है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित नहीं है।

10. वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प सं0–759/वि0, दि0–20.03.2015 की कंडिका–5 के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली एवं कोषागार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं पडताल करने का पूर्ण अधिकार होगा। वित्त विभाग के पत्रांक–903, दि0–02.03.2002 में चिन्हित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा निश्चित रुप से किया जायेगा एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राशि का व्यय योजना के चिन्हित अवयवों में किया जाय। उसके अतिरिक्त किसी अन्य मद में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रुप से भेजा जायेगा एवं इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग, द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.1998 में सन्निहत प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में कि जायेगी।

13. स्वीकृयादेश प्रारुप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0–759/वि0, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकारी पत्र की आवश्यकता नही है।

सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0–759/वि0, दि0–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

13.1.18

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 07/न0वि0/NULM/आवंटन/55/2015 234 राँची, दिनांक– 18/01/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

13.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 07/न0वि0/NULM/आवंटन/55/2015 234 राँची, दिनांक– 18/01/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव नगर, विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित निकायों के प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषांगार प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।